

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)  
मिसल नं. :: 149/2017  
सरकार बनाम सोनिया पत्नी संजय कुमार, जाति-जाट,  
निवासी-पीपली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 14.09.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायला स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका जेट उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सोनिया पत्नी संजय कुमार, जाति-जाट, निवासी-पीपली द्वारा रोही मौजा पीपली की राजकीय भूमि ख.नं. 164 के कुल रकबा 25.49 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.05 है० भूमि पर ढारा, कच्ची खुड़डी, छड़ी व बाड़ लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायला को नोटिस जारी किया गया। गैर सायला की ओर से उसके जेट ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायला की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस में अपना कब्जा 50-60 वर्ष पुराना होना बताया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। अतः गैर सायला का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 30 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सं० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 23 पर  
वर्ष 2017-18 में रुपये 30 कायम हैं।

राजस्थान लेखाकार

  
(बनवारी लाल)

नायब तहसीलदार, सूरजगढ़